संख्या– ✓ /XXIV(4)/2019-03(02)/2018

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 03 मई, 2019

विषय– राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का सम्बद्धीकरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–डिग्री सेवा–1/201/2019–20, दिनांक 16 अप्रैल, 2019, व पत्रांक–डिग्री सेवा–II/13396/2018–19, दिनांक 29 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनमें क्रमशः सम्बद्ध किये गये 66 शिक्षकों व 49 शिक्षणेत्तर कर्मियों के तैनाती स्थल से इतर सम्बद्ध होने की सूचना प्रेषित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1155/XXX(2)/2007, दिनांक 28 जून, 2007 में इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी विभाग में किसी दशा में कार्मिकों का सम्बद्धीकरण न किया जाय। उक्त शासनादेश के दृष्टिगत् उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर से जिन प्राध्यापकों एवं नियमित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के सम्बद्धीकरण किये गये हैं, उनके सम्बद्धीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों को एक सप्ताह के अन्तर्गत अपने तैनाती स्थल पर योगदान देने के आदेश जारी कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

संख्या– 723(1)/XXIV(4)/2019-03(02)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त सम्बन्धित प्राध्यापक **द्वारा**–प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

C:\BISHT\Documents\D.S.Rawat\D.S.Rawat Letter General.doc